राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

1. अपील संख्या 14/2013/उदयपुर
2. अपील संख्या 15/2013/उदयपुर

सहायक आयुक्त, वाणिज्यिक कर,
वर्क्स एण्ड लिजिंग टैक्स, उदयपुर .....अपीलार्थी.

बनाम

मैसर्स सुरुचि इलेक्टिक कॉन्ट्रेक्ट,
39, कोलीवाड़ा, उदयपुर .....प्रत्यर्थी

खण्डपीठ
श्री नत्थूराम, सदस्य
श्री मदन लाल मालवीय, सदस्य

उपस्थित : :

श्री आर.के.अजमेरा, ...अपीलार्थी की ओर से.
उप–राजकीय अभिभाषक।
अनुपस्थित .....प्रत्यर्थी की ओर से.

निर्णय दिनांक : 22.11.2017

निर्णय

1. अपीलार्थी विभाग द्वारा ये दोनों अपीलें उपायुक्त (अपील्स), वाणिज्यिक कर विभाग, उदयपुर (जिसे आगे **"अपीलीय अधिकारी"** कहा जायेगा) द्वारा पारित अपीलीय आदेश दिनांक 15.06.2012 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी हैं, जिसमें सहायक आयुक्त, वाणिज्यिक कर, वर्क्स कॉन्ट्रेक्ट एण्ड लीजिंग टैक्स, उदयपुर (जिसे आगे **"कर निर्धारण अधिकारी"** कहा जायेगा) द्वारा राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे **"अधिनियम"** कहा जायेगा) के अन्तर्गत पारित आदेश के जरिये मुक्ति शुल्क प्रमाण पत्र जारी करने के आदेशों को अपीलीय अधिकारी द्वारा अपास्त किये जाने को अधिनियम की धारा 83 के तहत विवादित किया है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि प्रत्यर्थी द्वारा Building में Electric Fitting का कार्य किया गया है। जो कि भवन निर्माण से संबंधित होने के कारण कर निर्धारण अधिकारी द्वारा ई.सी. फीस 3 प्रतिशत की दर से आरोपित की गई। प्रत्यर्थी व्यवहारी का यह मानना था कि चूंकि प्रकरण भवन निर्माण से संबंधित है अतः कर निर्धारण अधिकारी द्वारा जारी किये गये उक्त दोनों करमुक्ति प्रमाण पत्रों हेतु पारित आदेश से व्यथित होकर अपीलीय अधिकारी के समक्ष चुनौती दी परन्तु अपीलीय अधिकारी ने कर निर्धारण अधिकारी द्वारा अवधारित 3 प्रतिशत कर करमुक्ति शुल्क की बजाय 1.5 प्रतिशत करमुक्ति शुल्क को ही विधिक ठहराते हुए प्रत्यर्थी व्यवहारी की अपीलों को प्रतिप्रेषित किया। अपीलीय अधिकारी के उक्त आदेशों से व्यथित होकर अपीलार्थी राजस्व ने राजस्थान कर बोर्ड के समक्ष ये अपीलें प्रस्तुत की है।

3. प्रत्यर्थी व्यवहारी की तरफ से कोई उपस्थित नहीं परन्तु राजस्व की ओर से उप राजकीय अभिभाषक उपस्थित हुए जिनकी बहस सुनी गई।

4. राजस्व की ओर से विद्वान उप राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि कर निर्धारण अधिकारी ने कार्य की प्रकृति एवं राज्य सरकार की अधिसूचना के दृष्टिगत 3 प्रतिशत करमुक्ति

लगातार.....2

शुल्क अवधारित करते हुए जो करमुक्ति प्रमाण पत्र जारी किये गये है वे उचित ओर विधिनुकूल है विद्वान अपीलीय अधिकारी ने प्रदत्त कार्य संविदा की प्रकृति को सही तौर पर अवधारित न कर अविधिक आदेश पारित किया है जिसको निरस्त करने एवं विभाग की अपीलें स्वीकार करने का निवेदन किया।

5. विद्वान उप राजकीय अभिभाषक की बहस सुनी गई व रिकार्ड का अवलोकन किया। प्रत्यर्थी व्यवहारी ने शुरु में ही 3 प्रतिशत की दर से ई.सी. फीस हेतु आवेदन किया गया तत्पश्चात व्यवहारी ने संशोधन प्रार्थना पत्र कर निर्धारण अधिकारी को प्रस्तुत कर निवेदन किया कि यह कार्य भवन निर्माण से संबंधित होने के कारण ई.सी. फीस की दर 1.5 प्रतिशत ही आरोपणीय है। जिस पर करमुक्ति चाहने के क्रम में प्रत्यर्थी व्यवहारी ने कर निर्धारण अधिकारी को करमुक्ति प्रमाण पत्र जारी करवाने हेतु विधिवत्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर आवेदन किया जिस पर कर निर्धारण अधिकारी ने कुल कार्य संविदा कीमत पर 3 प्रतिशत करमुक्ति शुल्क का प्रमाण पत्र जारी किये गये। इस संबंध में राज्य सरकार द्वारा जारी **अधिसूचना क्रमांक एफ.12(63)एफडी/टैक्स/2005–80 दिनांक 11.08.2006** की तत्समय स्थिति निम्न प्रकार से है :–

Item No.	Description of work contract	Rate of exemption fee% of the total value of the contract
1.	2.	3.
1.	Works contracts relating to dyeing, processing ans similar activites.	0.25%
2.	Works contracts relating to buildings, roads, bridges, dams canals, sewerage system.	1.50%
3.	Works contracts relating to installation of plants and machinery including pspo. Water treatment plant. Laying of pipe line with material	2.25%
4.	Any other kind of works contract not covered by [item Nos. 1, 2 and 3]	3.00%

6. प्रस्तुत प्रकरण में अपीलीय अधिकारी के आदेश से स्पष्ट होता है कि कर निर्धारण अधिकारी ने संशोधन प्रार्थना पत्र का निस्तारण किये बिना ही ई.सी. फीस 3 प्रतिशत की दर से निर्धारित करते हुये कर निर्धारण आदेश पारित कर दिया तथा इस आदेश में कहीं भी संशोधन प्रार्थना पत्र को स्वीकार करने या निरस्त करने का उल्लेख नहीं किया गया है। पत्रावली पर उपलब्ध WT1 के अवलोकन से स्पष्ट है कि एक कार्य Commercial Complex से संबंधित है तथा दूसरा कार्य होटल में Electric Work से संबंधित है। अतः इन दोनों ही बिन्दुओं पर प्रकरण कर निर्धारण अधिकारी को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि हस्तगत प्रकरणों में संबंधित अधिसूचना को मध्यनजर रखते हुए एवं उभयपक्षों को समुचित सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए अपना विस्तृत निर्णय आदेश प्राप्ति के तीन माह के भीतर करें।

उपरोक्त विवेचनानुसार दोनों प्रकरण सशक्त अधिकारी को प्रतिप्रेषित किये जाते है।

निर्णय सुनाया गया।

(मदन लाल मालवीय)
सदस्य

(नत्थूराम)
सदस्य